संख्या-80/2022/I/189596/2022/001-71-2099-418-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के हास्पिटल ब्लाधक (पूर्व डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय) में फायर फाइटिंग सिस्टम के सुधार कार्यो की स्वीकृत प्रायोजना के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1383/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/विद्युत/2022 दिनांक 28 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय) में फायर फाइटिंग सिस्टम के सुधार कार्यो की स्वीकृत प्रायोजना के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 90.47 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-57/2021/I/69146/2021, दिनांक 07-06-2021 द्वारा प्रायोजना के लागत रू0 180.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 90.47 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28 जून, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के हास्पिटल ब्लाक (पूर्व डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय) में फायर फाइटिंग सिस्टम के सुधार कार्यो हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 90.47 लाख (नब्बे लाख सैतालिस हजार मात्र) (अनुदान सं0 31 से रू0 71.47 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 19.00 लाख) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।

2. प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज देय होगा।
5. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
9. कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यककता के अनुसार धनराशि अवमुक्ते की जायेगी। संस्थातन के वित्त नियंत्रक का यह दायित्वम होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्ययकता के अनुसार ही किया जाए।
10. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
11. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
12. शासनादेश संख्या-57/2021/1/69146/2021 दिनांक 07 जून, 2021 में उल्लिखित शर्तो /प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 71,47,000 (रुपये इकहत्तर लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-80/2022//1/189596/2022/001-71-2099-418-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।